## कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली (राज.)

क्रमांक / सामान्य / 2018 / 01 दिनांक :– 25/06/2018

**विज्ञप्ति**

पाली न्यायक्षेत्र के न्यायालयो में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 61 पद रिक्त है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164–ए में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ.12 (6) वित्त / नियम / 2009 दिनांक 01.12.2015 व राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/I-A-4(i)(a) 55/16/4247 दिनांक 15.06.2018 के अनुक्रम में पाली न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागो / पीएसयू से सेवानिवृत्त कार्मिक से संविदा पर सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त दोनों संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं पाली न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 15.07.2018 को 5.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

क्रमांक / सामान्य / 2018 / 2174 to 2182 दिनांक :– 25/06/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
4. जिला कलेक्टर, पाली को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत्।
5. पाली न्यायक्षैत्र के समस्त न्यायालय .......................
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, पाली को अखबार में प्रकाशन हेतु।
7. जिला नियोजन अधिकारी, पाली
8. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
9. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

## कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त-अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)
आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. पिता/पति का नाम :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. जन्म तिथिः— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. पता मय मोबाईल नम्बर :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. आयु (दिनांक 1.07.2019) :— . . . वर्ष . . . माह . . . . दिन .
6. अर्हताएं :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. मूल विभाग का नाम :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. अनुभव :— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :—
स्थान :—

हस्ताक्षर

## विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पुत्र / पत्नी . . . . . . . . . . . . . . . जो सेवानिवृत्ति से पूर्व . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . रूपये . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था / कर रही थी और कि श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया / गयी है और श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के विरूद्व कोई विभागीय जांच / आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील